

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

का.आ. 1719(अ).—केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट महानगर क्षेत्र पर लागू करती है, अर्थात्:-

### सारणी

महानगर क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)
आगरा	उत्तर प्रदेश
मेरठ	उत्तर प्रदेश

[फा.सं. के-14011/2/2018-एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2018

**S.O. 1719(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government after consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby extends the provisions of the said Act to the metropolitan areas as specified in the table below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

**TABLE**

<b>Name of metropolitan area</b>	<b>Name of State</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Agra	Uttar Pradesh
Meerut	Uttar Pradesh

[F.No. K-14011/2/2018-MRTS-II]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.